

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**जनपद बस्ती**  
**दिनांक 23.02.2021**

**विभिन्न बैंको के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश दो लाख, अस्सी हजार रूपये (2,80,000 ₹) नगद, 05 अदद मोबाइल फोन बरामद ।**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रविन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक प्रसाद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव, प्रभारी साइबर सेल उ0 नि0 श्री मज़हर खान, प्रभारी सर्विलान्स सेल श्री जितेन्द्र सिंह व स्वाट जनपद बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को दिनांक 22.02.2021 को टोल प्लाजा के निकट, थाना कोतवाली जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-**

1. रोशन पुत्र रामेन्द्र नाथ निवासी RZ-B-29 जैन कालोनी पार्ट-3 डीके मोहन गार्डन थाना बिन्दापुर पश्चिम दिल्ली मूल पता ग्राम देवीपुर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज ।
2. राहुल कुमार सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह निवासी प्लॉट नम्बर 82, शक्ति खण्ड-2, इन्द्रापुरम, थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम भीखपुर थाना आन्दर, जिला- सिवान, बिहार।
3. अनमोल शर्मा उर्फ अन्नू पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी नीति खण्ड-2, प्लॉट नम्बर-03 प्रथम तल थाना इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. दो लाख, अस्सी हजार रूपये (2,80,000 ₹) नगद ।
2. 05 अदद मोबाइल फोन ।
3. 05 अदद आधार कार्ड ।
4. 01 अदद पैन कार्ड ।
5. 02 अदद ड्राइविंग लाइसेंस ।
6. 01 अदद एप्पल वाच ।

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक- 08.03.2020 को श्री हरविन्दर सिंह थाना कोतवाली जनपद बस्ती ने तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 06.03.2020 को उसके मोबाइल पर फोन आया कि मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर अधिकारी बोल रहा हूँ और उसने मुझे अपनी बातों में फसा कर मेरे एसबीआई क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित गोपनीय जानकारी प्राप्त कर, मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी साइबर अपराधी ने 110000 रूपये किसी अन्य खाते में आनलाइन ट्रांजेक्सन कर रूपये को निकाल लिया है। जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 120/2020 धारा 419,420 भादवि 66 C, 66 D आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा की जा रही थी ।

## पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अपना एक संगठित गिरोह चलाते हैं। टेली कालिंग करवाकर भोले भाले लोगो से उनके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित बहुत सारे आफर देकर उनके खाते व क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी पता करके उनके खातो से आनलाइन फ्राड कर झांसा देते हुए खातो से रूपये उड़ा देते हैं, हम लोग अपने एक अन्य साथी की मदद से भोली भाली जनता के क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित डाटा क्रेडिट कार्ड बनाने वाली एजेन्सी से प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड जारी होने की जारी होने की तिथि, क्रेडिट कार्ड का नम्बर, ग्राहक का मोबाइल नम्बर होता था एवं प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड तथा पेटीएम केवाईसी अपडेटेड सिम कार्ड, जो कि पेटीएम खाते में लिंक होता था, जिसे मोबाइल में लगाने पर केवाईसी अपडेट नहीं कराना होता है, उपलब्ध कराता है। जिसके एवज में हम लोग क्रेडिट कार्ड प्रति डाटा 500 ₹0 व पेटीएम केवाईसी सिम व प्री एक्टिवेटेड उपलब्धकराने के एवज में 3000 रूपये देते थे तथा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्राप्त होने की तिथि के एक-दो दिन के अन्दर ही लोगों को फोन कॉल के माध्यम से लुभावने ऑफर देते हुए उनके क्रेडिट कार्ड और खातो से फर्जी तरीके से आनलाइन फ्राड कर भिन्न भिन्न लोगो के पहचान पत्रआन/ पर खुलवाये गये आफ लाइन फोटो के आधार , लाइन खातो मे ट्रांसफर करते थे जिसे बाद मे खुलवाये गये फर्जी खातो मे से ट्रांसफर कर निकल लेते थे. हम लोगो का यह गिरोह ऑनलाइन सक्रिय होकर पूरे देश में कहीं से भी फोन करने वाले व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी का कार्य करता है। हमारे गैंग के लोगो द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों के साथ अबतक **लगभग 8 से 10 करोड़** की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है। यह कार्य हम लोगों द्वारा विगत 4 वर्ष से किया जा रहा है।

## चल-अचल सम्पत्ति का विवरण-

1. अपराध से अर्जित रूपयों से रोशन द्वारा नजफगढ़ स्थित प्लाट नम्बर K46 जड़ोदा निकट डिचाव गाँव में 150 गज का प्लाट 65 लाख रूपये में अपने नाम से खरीदा है।
2. महाराजगंज जनपद के पनियरा कस्बे में पेट्रोल पंप के पास अपने भाई मोन्टू के नाम से जमीन खरीद कर मकान का निर्माण तथा अपने भाई के नाम से एक i-20 Hyundai Car खरीदा गया है।
3. राहुल सिंह द्वारा इन्द्रापुरम गाजियाबाद में 35 लाख रूपये की मशल्स जिम,
4. हिमालयन अपार्टमेन्ट इन्द्रापुरम गाजियाबाद में 15 लाख रूपये की सिटी जिम में इन्वेस्टमेंट.
5. अपने जीजा निहाल सिंह पुत्र स्व० हरिशंकर सिंह नि० ग्राम राजपुर थाना रघुनाथपुर जनपद सिवान (बिहार) के नाम से 45 लाख रूपये का फ्लैट नम्बर 304, शक्ति खण्ड-2 इन्द्रापुरम में खरीदा गया है तथा अपने परिवारजनों के माध्यम से अपने गृह जनपद सिवान (बिहार) में भिन्न-भिन्न जगहों पर इन्वेस्ट किया है।
6. अनमोल शर्मा द्वारा साइबर अपराध से अर्जित रूपयों से कुछ अपने व अपने परिजनों/रिश्तेदारों के नाम से बैंक में जमा किया गया है।

इस गैंग द्वारा विगत दो वर्षों में लगभग 05 करोड़ 10 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी की जा चुकी है। इस गैंग द्वारा अपराध से अर्जित रूपयों से बनार्यों गयी चल अचल सम्पत्ति का पता कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत की जायेगी.

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 120/2020 धारा 419,420 भादवि 66 C, 66 D आईटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री रामपाल यादव प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली , जनपद बस्ती । (मय टीम)
2. श्री जीतेन्द्र मिश्रा चौकी प्रभारी जेल गेट थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।
3. प्रभारी सर्विलान्स सेल 30नि० श्री जितेन्द्र सिंह ।

4. प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री मज़हर खान ।
5. हे0का0 मनोज राय, हे0का0 का0 मनिन्द्र चन्द्र, का0 रविशंकर शाह, का0 अभिषेक तिवारी, स्वाट टीम ।
6. का0 जितेन्द्र कुमार यादव, का0 सत्येन्द्र सिंह, सर्विलान्स सेल, जनपद बस्ती।
7. का0 धीरेन्द्र कुमार यादव, का0 मोहन यादव, का0 अभिषेक त्रिपाठी, का0 संदीप कुमार, का0 घनश्याम यादव, साइबर सेल, जनपद बस्ती।